**सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की पहली बैठक का कार्यवृत्त।**

सुश्री उमा भारती, माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की अध्यक्षता में विशेष समिति की पहली बैठक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14 अक्टूबर 2014 को आयोजित हुई थी। श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय मंत्री केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री, नदी विकास और गंगा संरक्षण; श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्रालय, बिहार सरकार; श्री संवर लाल जाट, जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार;श्री बाबूभाई बोखिरिया, माननीय जल संसाधन मंत्री, गुजरात सरकार; श्री टी. हरीश राव, माननीय कृषि मंत्री, तेलंगाना सरकार और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने बैठक में उपस्थित थे। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में प्रस्तुत की गई है।

प्रारंभ में,माननीय मंत्री,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने सभी सदस्यों और विशेष समिति की बैठक के प्रतिभागियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने उल्लेख किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने नदियों के नेटवर्किंग के मामले में 27 फरवरी, 2012 के अपने निर्णय में भारत के संघ और विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को "नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति" का गठन करने के लिए निदेशित किया है। तदनुसार, 23.09.2014 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा विशेष समिति का गठन किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री ने संकेत दिया कि जिन योजनाओं को आसानी से लागू किया जा सकता है और जो कठिनाइयों वाले हैं , उन्हें पहचाना जाएगा और निष्पादन के लिए प्राथमिकता पर आसानी से कार्यान्वित होने वाली योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बल दिया कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के संबंध में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी चिंताओं पर चर्चा की जाएगी। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि देश के जल संसाधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए जल मंथन के रूप में जाना जाने वाला तीन दिवसीय सम्मेलन शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का एक पूरा दिन परियोजना के प्रस्तावों को तैयार करते समय विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और सामाजिक वैज्ञानिकों सहित सभी हितधारकों के विचारों को प्राप्त करने के लिए नदियों के कार्यक्रमों और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थायी विकास के लिए जल, जमीन, जन, जंगल और जानवर को उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने नदियों के अंतर्योजनकार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश दिए हैं और उल्लेख कियाकि विशेष रूप से सरकार को निदेशित किया गया है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना को पहले पहल आरंभ किया जाए। उन्होंने नदियों के अंतर्योजनपरियोजनाओं राष्ट्र के लिए उनके बड़े लाभों को उजागर किया।

श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार ने जोर देकर कहा कि हिमालयी नदियों का अंतर्योजनबहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि हिमालयी नदियों के लिंक हेतु नेपाल के क्षेत्र में विभिन्न भंडारण ढांचों का निर्माण करना होगा। इन बांधों/जलाशयों के निर्माण के लिए वृहत सिंचाई और जल विद्युत लाभ के अलावा, इन हिमालयी नदियों के कारण बिहार में बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम किया जाएगा।

श्री बाबूभाई बोखिरिया, माननीय जल संसाधन मंत्री, गुजरात सरकार ने उल्लेख किया कि तीन परियोजनाएं (i) दमनगंगा-पिंजल लिंक (ii) पार-तापी-नर्मदा लिंक और (iii) दमनगंगा-साबरमती-चोरवाड़ लिंकगुजरात राज्य से संबंधित है। उन्होंने कहा कि ये सभी लिंक राज्य के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने उल्लेख किया कि भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण से संबंधित कुछ मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन्हें उचित रूप से संबोधित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले आदिवासियों की अशांति के बारे में माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) की पूछताछ के जवाब में श्री बोखिरिया ने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों का समाधान राज्य सरकार द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा।

श्री संवर लाल जाट, माननीय जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार ने उल्लेख किया कि नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रमों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए ताकि उनके राज्य के शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के प्रयोजनों के लिए जल मिल सके। उन्होंने आग्रह किया कि तीन हिमालय लिंक परियोजनाएं; शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती लिंकों को प्राथमिकता पर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि भारत सरकार ने शारदा-यमुना लिंक के लिए अपने क्षेत्र में आवश्यक भंडारण बनाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए नेपाल सरकार के साथकदम तुरंत उठाए जाएं। उन्होंने आगे अपने राज्य के लिए आवश्यक सिंचाई लाभों के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान को शामिल करने वाले पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया।

श्री टी हरीश राव, माननीय कृषि मंत्री, तेलंगाना सरकार ने उल्लेख किया कि उनका राज्य नदियों के कार्यक्रमों के पक्ष में था। उन्होंने सुझाव दिया कि नदियों के अंतर्योजनके साथ-साथ अपने राज्य में मौजूदा तालाबों को जोड़ने को भी विचार किया जा सकता है क्योंकि यह कम समय में पूरा किया जा सकता है और अतिरिक्त सिंचाई का तत्काल लाभ प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी क्योंकि नव-निर्मित राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी है। उन्होंने नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के प्रायद्वीपीय घटक के साथ हिमालयी घटक के अंतर्योजनपर जोर दिया।

श्री रणजीत कुमार, अदालत मित्र ने गौर किया कि हालांकि उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2012 में निर्णय दिया था, विशेष समिति की बैठक अक्टूबर 2014 में हुई थी। इस संबंध में, माननीय मंत्री (डब्लूआर आरडी एंड जीआर) ने उल्लेख किया कि नई सरकार के गठन के तुरंत बाद मामले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया और समिति सितंबर 2014 में गठित की गई। उन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकट की कि समिति की पहली बैठक अपने गठन के एक माह के भीतर आयोजित की जा रही है।

इसके बाद, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक और विशेष समिति के सदस्य सचिव की अनुमति के साथ चर्चा के लिए कार्यसूची मदों को प्रस्तुत किया गया।

**मद 1.0: परिचय और पृष्ठभूमि**

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक और विशेष समिति के सदस्य सचिव ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और निदेशों का संक्षिप्त विवरण दिया और कहा कि "इन री: नेटवर्किंग ऑफ़ रिवर्स" के मामले में रिट याचिका (सिविल) सं.512/2002 साथ में रिट याचिका (सिविल) सं. 668/2002 दिनांक 27.2.2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया था कि पूरे देश के लाभ के लिए नदियों नदियों का अंतर्योजन के कार्यक्रमों, निर्माण और कार्यान्वित करने के लिए एक उपयुक्त निकाय तैयार किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से भारत सरकार को निर्देश दिया कि वे जल संसाधन मंत्री माननीय मंत्री की अध्यक्षता में 'नदियों के अंतर्योजन हेतु एक विशेष समिति' का गठन करें। सदस्य सचिव ने उल्लेख किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक, जल संसाधन, आरडी और जीडी मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.09.2014 की अधिसूचना द्वारा गठित नदियों के अंतर्योजनके लिए विशेष समिति का गठन किया गया है।

**मद 2.0: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (नदियों का अंतर्योजन)**

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने संक्षेप में जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की मुख्य विशेषताओं को समझाया। यह उल्लेख किया गया था कि तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय ने अगस्त 1980 में जल के अंतर-बेसिन हस्तांतरण के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी जिसमें दो घटक शामिल थे, अर्थात् (i) प्रायद्वीपीय नदियों का विकास और (ii) हिमालयी नदियां का विकास। एन.पी.पी. से परिकल्पित लाभ 35 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और 34,000 मेगावॉट जल विद्युत, पेय जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन आदि के अन्य लाभों के अलावा हैं। कार्यसूची टिप्पणियों में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया।

**मद 3.0: राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी और वर्तमान स्थिति कार्य**

यह उल्लेख किया गया था कि रा.ज.वि.अ. की स्थापना 1982 में हुई थी और इसके कार्यों को समय-समय पर संशोधित किया गया था। एनपीपी के तहत अंत:राज्यीय लिंक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की तैयारी का कार्य 2006 में रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया था और अंत:राज्यीय लिंक के लिए डी.पी.आर. वर्ष 2011 में सौंपी गई थी। रा.ज.वि.अ. ने विभिन्न अध्ययनों को पूरा कर लिया है। यह भी उल्लेख किया गया कि एनपीपी के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I और चरण-II तथा दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना के डी.पी.आर. पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि पार-तापी-नर्मदा लिंक का डी.पी.आर. प्रगति पर है और मार्च 2015 में पूरा होने के लिए निर्धारित है। यह सूचित किया गया था कि 9 राज्यों से प्राप्त अंत:राज्यीय लिंकों के 46 प्रस्तावों में से 33 अंत:राज्यीयलिंक के पूर्व-संभाव्यता प्रतिवेदन (पी.एफ.आर.) को रा.ज.वि.अ. द्वारा सितंबर 2014 तक पूरा कर लिया गया है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बिहार के दो अंतरा-राज्य लिंक परियोजनाओं में से, बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा लिंक और कोसी-मेची लिंक पहले ही पूरे हो चुके हैं और बिहार सरकार को भेज दिए गए हैं। अंतरा-राज्य लिंक परियोजनाओं के डी.पी.आर.; तमिलनाडु के पोन्नैयार- पालार, वैंनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्ण-तापी) और झारखंड के बरकर-दामोदर-सुवर्ण रेखा प्रगति पर हैं। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

**मद 4.0: समिति के कार्यों के लिए निर्देश एवं चर्चा के लिए कार्यसूची बिंदु**

अधिसूचना में निहित समिति के कार्यों के लिए विभिन्न निर्देश कार्यसूची टिप्पणियों में लाई गईं और अनुपालन के लिए संज्ञान में लिया गया। विशिष्ट निर्देश को ध्यान में रखते हुए कि समिति, ऐसे नियमों और शर्तों पर नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रमों की के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी जाती है, ऐसी उप-समितियों का गठन कर सकती है जो यह आवश्यक समझती है,समिति ने ऐसी उप-समितियों के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत एवं अन्य जगहों में भी प्रतिवेदित विभिन्न प्रतिवेदनों/अध्ययनों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक विश्लेषण की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट कार्यों को पूरा करने हेतु रा.ज.वि.अ. के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित तीन उप-समितियों का गठन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

i. विभिन्न अध्ययन/प्रतिवेदनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति;
ii. सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन हेतु उप-समिति; तथा
iii. संबंधित राज्यों के बीच नदी बेसिन/उप-बेसिनों में अधिशेष जल के बंटवारे के लिए समझौतों पर पहुंचने के लिए एवं वार्ता के माध्यम से मतैक्यता के लिए उप-समिति।

प्रधान सचिव, पीडब्ल्यूडी तमिलनाडु सरकार ने उल्लेख किया था कि क्र. (iii) में उल्लिखित सर्वसम्मति के निर्माण के लिए एक उप-समिति का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम मतैक्यता को प्राप्त करना कठिन होगा। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग नेविशेषज्ञ की राय एवं संबंधित राज्यों की सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए इस उप-समिति की आवश्यकता पर बल दिया। सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष का समर्थन किया और उल्लेख किया कि इस उप-समिति का गठन आवश्यक था। अतिरिक्त मुख्य सचिव, केरल, उप-समिति के पक्ष में था ताकि नदियों का अंतर्योजन में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के निष्पक्ष विचार प्राप्त हो सकें। सदस्य-सचिव ने स्पष्ट किया कि संबंधित राज्यों के बीच जल साझा करने के संबंध में विभिन्न जल न्यायाधिकरण के अधिनिर्णयों के अनुसार रा.ज.वि.अ. द्वारा सभी लिंक परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। श्री रणजीत कुमार, अदालत मित्र ने सुझाव दिया कि उप-समिति के शीर्षक से उपरोक्त (iii) उप-समिति के शीर्षक से "नदी की बेसिन/उप-बेसिनों के अधिशेष जल के बंटवारे के लिए" शब्दोंको हटाया जा सकता है। सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति के शीर्षक (iii) में संशोधन के साथ जो "वार्ता के माध्यम से सर्वसम्मति निर्माण और संबंधित राज्यों के बीच समझौतों पर पहुंचने के लिए उप-समिति" पढ़ा जाएगा, उपरोक्त सभी तीन उप-समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया था। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

**मद 5.0: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-1 की वर्तमान स्थिति**

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-1 की प्रमुख विशेषताओं और लाभों की व्याख्या की और उल्लेख किया कि यह परियोजना, वैधानिक अनुमतियों के प्राप्त होने के एक उन्नत चरण में थी। परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के बाद, जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति तकनीकी-आर्थिक अनुमति के लिए परियोजना पर विचार करेगी। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

**मद 6.0: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-2 की वर्तमान स्थिति**

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-2 का डी.पी.आर. पूरा हो चुका है एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को जनवरी, 2014 में सौंपा जा चुका है। निचला ओर बांध के संबंध में,जो केन-बेतवा परियोजना चरण -2 का हिस्सा है, वन अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन रा.ज.वि.अ. द्वारा 16.10.2014 को प्रस्तुत किया गया है। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

**मद 7.0: अतिरिक्त कार्यसूची मद - रा.ज.वि.अ. का पुनर्गठन**

अतिरिक्त कार्यसूची मद के लिए एक टिप्पण:रा.ज.वि.अ. का पुनर्गठन, अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ बैठक आरंभ होने से पहले सभी सदस्यों/प्रतिभागियों को भेजा गया था।

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि नदियों के अंतर्योजन (कार्यबल, नदियों का अंतर्योजन) पर रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के मुद्दे को पूर्व में श्री सुरेश प्रभु, पूर्व केंद्रीय मंत्रीएवं अध्यक्ष, कार्यबल अध्यक्ष ने अपने प्रतिवेदन (2004) द्वारा विचार किया गया था और आईआईएम अहमदाबाद द्वारा अध्ययन किया गया था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के निर्णय के अनुसार रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन पर एक प्रतिवेदन श्री एम.ई. हक, पूर्व सदस्य, केंद्रीय जल आयोग द्वारा, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को दिसंबर, 2012 में प्रस्तुत किया गया था। इस पर जोर दिया गया कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के समयबद्ध कार्यान्वयन पर विचार और रा.ज.वि.अ. के बढ़ाए गए अधिदेश में रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। यह प्रस्ताव किया गया था कि रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक समयबद्ध तरीके से अपना प्रतिवेदन देने के लिए एक उप-समिति का गठन किया जा सकता है।

सचिव, जल संसाधन, कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में उल्लेख किया है कि उनके राज्य में कार्य करने वाले अधीक्षक अभियंता कार्यालय को रा.ज.वि.अ. द्वारा कार्यकारी अभियंता कार्यालय में अवनत किया गया था और इसकी बहाली के लिए अनुरोध किया। बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री, रा.ज.वि.अ. के सर्किल कार्यालय को मजबूत बनाने की आवश्यकता बताते हुए इसे मुख्य अभियंता के स्तर तक उन्नयन के लिए बल दिया।

सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, समिति ने रा.ज.वि.अ. के पुनर्निर्माण के लिए एक उप-समिति की स्थापना को मंजूरी दी। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) ने सदस्यों को रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के मुद्दे को उप-समिति की रिपोर्ट के आधार पर लेने का आश्वासन दिया जो एक निर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत किया जाएगा।

**मद 8.0: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य कार्यसूची**

माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार ने उल्लेख किया कि उनके राज्य को नदियों के अंतर्योजन से कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि राज्य के बाहर के क्षेत्र में गोदावरी नदी का जल राज्य के बाहर मोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने जोर दिया कि तेलंगाना राज्य को नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के लाभ से वंचित नहीं करना चाहिए और

राज्य के हितों को संरक्षित किया जाना चाहिए। माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने आश्वासन दिया कि सभी राज्यों के हितों की रक्षा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नदियों की अंतर्योजन परियोजनाओं के लाभ से कोई भी राज्य वंचित ना हो। उन्होंने उल्लेख किया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना एक प्रतिमान परियोजना के रूप में आरंभ की जा रही है, जिसके बाद अन्य लिंक परियोजनाओं का पालन किया जाएगा।

माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने अपनी समापन टिप्पणी में बिहार, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना के माननीय मंत्रियों को आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों को मंत्रालय में उचित रूप से लिया जाएगा। उसने आशा व्यक्त की कि माननीय उच्चतम न्यायालय नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मामले में कानूनी बाधाओं से विशेष समिति की रक्षा करेगा और इस संबंध में अदालत मित्र की सहायता मांगी है।

अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन हुआ।

**अनुलग्नक-I**

## नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की दिनांक 17.10.2014 को आयोजित बैठक के सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सुश्री उमा भारती<br>माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) | अध्यक्ष |
| 2. | श्री संतोष कुमार गंगवार<br>माननीय राज्य मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) | सदस्य |
| 3. | श्री विजय कुमार चौधरी<br>माननीय मंत्री (जल संसाधन),<br>बिहार सरकार,<br>पटना | सदस्य |
| 4. | श्री संवर लाल जाट<br>माननीय मंत्री (जल संसाधन),<br>राजस्थान सरकार,<br>जयपुर | सदस्य |
| 5. | श्री बाबूभाई बोखिरिया<br>माननीय मंत्री (जल संसाधन),<br>गुजरात सरकार,<br>गांधीनगर | सदस्य |
| 6. | श्री टी. हरीश राव<br>माननीय मंत्री (सिंचाई),<br>तेलंगाना सरकार,<br>हैदराबाद | विशेष आमंत्रण |
| 7. | श्री ए.बी. पंड्या<br>अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग<br>नई दिल्ली | सदस्य |
| 8. | श्री दीपक कुमार सिंह<br>सचिव, जल संसाधन विभाग,<br>बिहार सरकार,<br>पटना | सदस्य |
| 9. | श्री पी.एन. जैन<br>सचिव, जल संसाधन विभाग<br>गुजरात सरकार,<br>गांधीनगर | सदस्य |

अनुलग्नक-I (लगातार)

| | | |
|---|---|---|
| 10. | श्री धिमन मुखर्जी<br>सचिव,<br>जल संसाधन विभाग<br>पश्चिम बंगाल सरकार,<br>कोलकाता | सदस्य |
| 11. | श्री वी.जे. कुरियन<br>अपर प्रमुख सचिव,<br>जल संसाधन विभाग<br>केरल सरकार,<br>तिरुवनंतपुरम | सदस्य |
| 12. | श्री अजिताभ शर्मा<br>सचिव,<br>जल संसाधन विभाग,<br>राजस्थान सरकार,<br>जयपुर | सदस्य |
| 13. | श्री गुरुपद स्वामी बीजी<br>सचिव,<br>जल संसाधन विभाग,<br>कर्नाटक सरकार,<br>बेंगलुरु | सदस्य |
| 14. | श्री सुरेश कुमार गोयल<br>सचिव,<br>सिंचाई और जल संसाधन विभाग<br>हरियाणा सरकार,<br>चंडीगढ़ | सदस्य |
| 15. | श्री एम. सायकुमार<br>प्रमुख सचिव,<br>लोक निर्माण विभाग,<br>सरकार तमिलनाडु,<br>चेन्नई | सदस्य |
| 16. | श्री एकनाथ पाटील<br>प्रमुख सचिव,<br>जल संसाधन विभाग,<br>महाराष्ट्र सरकार,<br>मुंबई | सदस्य |

अनुलग्नक-I (लगातार)

| | | |
|---|---|---|
| 17. | श्री रणजीत कुमार<br>अदालत मित्र,<br>उच्चतम न्यायालय | सदस्य |
| 18. | श्री पी.आर. मीना<br>निवासी आयुक्त,<br>पुडुचेरी सरकार | सचिव (लोक निर्माण कार्य),<br>पुडुचेरी सरकार का प्रतिनिधित्व |
| 19. | श्री टी.डी. साहू<br>अभियंता-इन-चीफ (पी एंड डी),<br>जल संसाधन विभाग,<br>ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर | प्रमुख सचिव (ओडिशा सरकार) का<br>प्रतिनिधित्व |
| 20. | श्री एम. वेंकटेश्वर राव<br>इंजीनियर-इन-चीफ,<br>सिंचाई विभाग,<br>आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद | प्रधान सचिव (पी), आईएंडसीएडी<br>विभाग, आ०प्र०<br>का प्रतिनिधित्व |
| 21. | श्री आर.एस. त्यागी<br>सदस्य,<br>दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,दिल्ली | प्रधान सचिव (शहरी विकास) का<br>प्रतिनिधित्व |
| 22. | श्री एल.एल. गुप्ता<br>मुख्य अभियन्ता,<br>यूपी सिंचाई औरजल संसाधन विभाग<br>उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ | प्रधान सचिव, सिंचाई विभागका<br>प्रतिनिधित्व |
| 23. | श्री एस.के. खरे<br>मुख्य अभियंता (बोधी),<br>म०प्र० जल संसाधन विभाग, भोपाल | प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, म०प्र०<br>का प्रतिनिधित्व |
| 24. | श्री अनंत कुमार बरमाह<br>मुख्य अभियंता (क्यूसी)<br>जल संसाधन विभाग, गुवाहाटी | प्रमुख सचिव, असम सरकार का<br>प्रतिनिधित्व |
| 25. | श्री एस. मसूद हुसैन<br>महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. | सदस्य सचिव |
| 26. | श्री विराग गुप्ता | सामाजिक कार्यकर्ता |
| 27. | श्री के.के.प्यासी | सामाजिक कार्यकर्ता |
| 28. | श्री एन.बिरथरे | सामाजिक कार्यकर्ता |

अनुलग्नक-I (लगातार)

**जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिकारी**

1. डॉ० अमरजीत सिंह
   अतिरिक्त सचिव भारत सरकार

2. श्री टीवीएसएन प्रसाद
   संयुक्त सचिव (पीपी)

3. श्री श्रीराम वेदियर
   सलाहकार, भारत सरकार

4. श्री प्रदीप कुमार, आयुक्त (एसपी)

5. श्री एस.के. गंगवार
   वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम)

6. डॉ० एम.के. सिन्हा
   वरि० संयुक्त आयुक्त (पीपी)

7. श्री असित चतुर्वेदी
   उपायुक्त (बीएम)

**राज्य सरकारों के अधिकारी**

1. श्री हरमैल सिंह
   इंजीनियर-इन-चीफ,
   सिंचाई और जल संसाधन विभाग
   हरियाणा सरकार, पंचकूला, चंडीगढ़

2. श्री सुमनेश माथुर
   अपर सचिव-सह-मुख्य अभियंता,
   जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

3. श्री राजीव वर्मा
   मुख्य अभियन्ता,
   सिंचाई और जल संसाधन विभाग
   हरियाणा सरकार, चंडीगढ़

4. श्री बी. हरि राम
   मुख्य अभियंता/प्राणहित,
   आईएंडसीएडी विभाग, तेलंगाना राज्य, हैदराबाद

अनुलग्नक-I (लगातार)

5. श्री वी.के. गुप्ता
मुख्य अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, लखनऊ

6. श्री इंद्र भूषण कुमार
मुख्य अभियंता, निगरानी,
जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार,पटना

7. श्री भवानी राम शंकर
मुख्य अभियंता (जल विज्ञान),
सिंचाई और सीएडी विभाग तेलंगाना राज्य,हैदराबाद

8. श्री एम.पी. रावल
मुख्य अभियंता (एसजी) और अतिरिक्त सचिव,
एनडब्ल्यूआरडब्ल्यूएस और कल्पसार विभाग,
गुजरात सरकार, गांधीनगर

9. श्री के.एस. रामकुमार
उपाध्यक्ष,
कावेरी प्रकोष्ठ-सह-अंत:राज्यीय जल विभाग, पीडब्ल्यूडी
जल संसाधन विभाग पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई

10. श्री एच.जे. पटेल
अधीक्षक अभियंता सीडीओ (हाइड्रो), गुजरात सरकार,
गांधीनगर

11. श्री अनिल कुमार
उप सचिव (एमएमआई),
जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर

12. श्री ए. वार्ष्णेय
कार्यकारी अभियंता (बोधी), भोपाल

13. श्री योगेश कुमार मित्तल
अधिशाषी अभियंता,
जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

14. श्री डी.एस. अंकारा राव
उप कार्यकारी अभियंता,
आईएंडसीएडी विभाग सरकार, आ०प्र०

अनुलग्नक-I (लगातार)

**रा.ज.वि.अ. अधिकारी:**

1. श्री एम.के. श्रीनिवास
मुख्य अभियंता (एस), हैदराबाद

2. श्री आर.के. जैन
मुख्य अभियंता (मुख्यालय), नई दिल्ली

3. श्री एच.एन. दीक्षित
मुख्य अभियंता (एन), लखनऊ

4. श्री एन.सी. जैन
निदेशक (तक.), नई दिल्ली

5. श्री के.पी. गुप्ता
अधीक्षक अभियंता, नई दिल्ली

6. श्री ओ.पी.एस. कुशवाह
अधीक्षक अभियंता, नई दिल्ली

7. श्री मुजफ्फर अहमद
अधीक्षक अभियंता, अन्वेषण सर्किल, पटना

8. श्री एम.पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त), नई दिल्ली

9. श्री जे.एस.एस. शास्त्री
सलाहकार (ए), नई दिल्ली

10. श्री निजाम अली
सलाहकार (तक.), नई दिल्ली